पत्रांक–03/SBM–20–03/2015 09 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–22.11.19

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 22 Ganga Town हेतु SWM घटक में राज्यांश के प्रथम किस्त की राशि 2654.00 लाख़ रू0 (छब्बीस करोड़ चौवन लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SWM घटक में 22 Ganga Town हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश के प्रथम किस्त की राशि 3987.00 लाख रू0 सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त किया गया है।

केन्द्रांश की विमुक्त राशि के अनुपातिक राज्यांश के प्रथम किस्त की राशि 2654.00 लाख़ रू0 (छब्बीस करोड़ चौवन लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि 2654.00 लाख़ रू0 (छब्बीस करोड़ चौवन लाख रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 वित्त विभाग के पत्रांक–8699 दिनांक–29.11.2018 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.19 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि 2654.00 लाख रू0 (छब्बीस करोड़ चौवन लाख रू0 मात्र) माँग सं0– 48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0301–स्वच्छ भारत अभियान, विषय शीर्ष–31 सहायता अनुदान, 0301–31–05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड –48-2217030510301, PFMS Code- 9757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि 20000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. इसके लिए CFMS के माध्यम से अलग से आवंटन निर्गत किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0– /टि0 पर दिनांक– को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/5/2019

सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 ०९ दिनांक–२१.५.१९

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 ०९ दिनांक–२१.५.१९

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/2019

सरकार के प्रधान सचिव।